2019 का विधेयक संख्यांक 4

[दि कांस्टिट्यूशन (शिड्यूल्ड ट्राइब्स) आर्डर (सेकंड अमेंडमेंट) बिल, 2019 का हिन्दी अनुवाद]

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2019

कर्नाटक राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सूची को उपांतरित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2019 है ।

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का संशोधन ।

2. संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 की अनुसूची के भाग 6 - कर्नाटक में,-- सं0आ0 22

(क) प्रविष्टि 38 में, "नायकडा, नायक" शब्दों के स्थान पर, "नायकडा, नायक (जिसके अंतर्गत परिवार और तलवार भी हैं)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ख) प्रविष्टि 50 में, "(उत्तर कन्नड़ जिले में)" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, "(बेलागवी, धारवाड़ और उत्तर कन्नड़ जिले में)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

अनुसूचित जनजातियों को संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (25) में "ऐसी जनजातियां या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजातियों या जनजाति समुदायों के भाग या उनमें के यूथ, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 342 के अधीन अनुसूचित जनजातियां समझा जाता है" के रूप में परिभाषित किया गया है ।

2. संविधान का अनुच्छेद 342 निम्नलिखित उपबंध करता है :--

"342. अनुसूचित जनजातियां–(1) राष्ट्रपति, किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में और जहां वह राज्य है वहां उसके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात् लोक अधिसूचना द्वारा, उन जनजातियों या जनजाति समुदायों अथवा जनजातियों या जनजाति समुदायों के भागों या उनमें के यूथों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जनजातियां समझा जाएगा ।

(2) संसद्, विधि द्वारा, किसी जनजाति या जनजाति समुदाय को अथवा किसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसमें के यूथ को खंड (1) के अधीन निकाली गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित कर सकेगी या उसमें से अपवर्जित कर सकेगी, किन्तु जैसा ऊपर कहा गया है उसके सिवाय उक्त खंड के अधीन निकाली गई अधिसूचना में किसी पश्चातवर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।"।

3. संविधान के अनुच्छेद 342 के उपबंध के अनुसार कर्नाटक राज्य (तत्कालीन मैसूर राज्य) के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की पहली सूची को, संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 द्वारा अधिसूचित किया गया था । कर्नाटक राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची को, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1956, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976, संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1991, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 और संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2012 द्वारा उपांतरित किया गया है ।

4. वर्तमान में कर्नाटक राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में आने वाले समुदायों और पर्यायों की संख्या एक सौ छह है ।

5. कर्नाटक राज्य की सिफारिश के आधार पर, कर्नाटक राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में निम्नलिखित समुदायों को, अर्थात् (i) प्रविष्टि 38 में, 'नायक' के पर्याय के रूप में "परिवार और तलवार" को और (ii) प्रविष्टि 50 में, धारवाड़ और बेलागवी जिलों के "सिद्दी" समुदाय को उत्तर कन्नड़ जिले के विद्यमान "सिद्दी" समुदाय के साथ सम्मिलित करने का विनिश्चय किया गया है । इसलिए, उक्त समुदायों को अनुसूचित जनजाति प्रास्थिति प्रदान करने के लिए संविधान (अनुसूचित

जनजातियां) आदेश, 1950 की अनुसूची के कर्नाटक राज्य से संबंधित भाग 11 का संशोधन करने का प्रस्ताव है ।

6. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
8 जनवरी, 2019

जुएल ओराम

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक, कर्नाटक राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची को निम्नलिखित रूप में संशोधित करके संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का संशोधन करने के लिए है :--

'कर्नाटक राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में समुदायों अर्थात् (i) प्रविष्टि 38 में, "नायक" के पर्याय के रूप में "परिवार" और "तलवार" को सम्मिलित किया जाना तथा (ii) प्रविष्टि 50 में, धारवाड़ और बेलागवी जिलों के "सिद्दी" समुदाय को उत्तर कन्नड़ जिले के विद्यमान "सिद्दी" समुदाय के साथ सम्मिलित किया जाना ।'।

2. कर्नाटक राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन से कर्नाटक राज्य में पूर्व उल्लिखित समुदायों से संबंधित व्यक्तियों को अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए आशयित सतत् स्कीमों में से दिए जाने के लिए संभाव्य फायदों के कारण भारत की संचित निधि से किसी अतिरिक्त आवर्ती व्यय की आवश्यकता नहीं होगी । उक्त व्यय की पूर्ति इस मंत्रालय के वार्षिक योजना और गैर-योजना व्यय में से की जाएगी ।

उपाबंध

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 (सं0 आ0 22) से उद्धरण

* * * * *

भाग 6---कर्नाटक

* * * * *

38. नायकडा, नायक, चौलीवाला नायक, कपाडिया नायक,मोटा नायक, नाना नायक, नाईक, नायक, बेडा, बेडर और बाल्मीकि

* * * * *

50. सिद्दी (उत्तर कन्नड़ जिले में)।

* * * * *

MGIPMRND—3191RS(CRC)—08-01-2019.